प्रथम अपील आर. टी. आई. एक्ट 2005

सेवा में, DATE:-22-04-2022

श्रीमती रूबी कौशल, सचिव एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,

दिल्ली नगर कला आयोग, कोर-6ए,

भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड,

नई दिल्ली-110003

SUBJECT: RTI एक्ट 2005 के तहत गलत व् अधूरी सूचना देने बारे अपील |

निवेदन इस प्रकार है कि मै अपीलार्थी Devender Dev Sharma, R/O 16 C, Bhairon Mandir, Boulevard Road, Civil Lines, North Delhi-110054 ने RTI के तहत दिनांक 21-03-2022 को The CPIO/PIO, C/O Coordinating Officer, Heritage Conservation Committee, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi को By SPEED POST Application देकर सूचना मांगी थी जो आर.टी.आई. एप्लीकेशन की फोटो कॉपी साथ संग्लन हैं | RTI Act 2005 की निर्धारित फीस 50/- रुपए पोस्टल आर्डर न० 96G 310352 दवारा दी गई थी | जिसका Heritage Conservation Committee ने गलत व् अधूरी सूचनाये देकर RTI Act 2005 की अवहेलना की है |

यह हैं कि मेरी आर टी आई एप्लीकेशन में सात सवाल हैं सातों सवाल अलग अलग तरह के हैं मेरे सभी सवालों का अलग अलग जवाब देना था जो PIO ने सभी सवालो का एक ही जवाब दिया हैं जो जानबूझकर दिया है जो गलत हैं मेरे सभी सवाल एक जैसे नहीं हैं सभी सवाल मेरे अलग अलग तरह के है मेरे सभी सवालो का अलग अलग जवाब दिया जाना था | PIO Heritage Conservation Committee दवारा दी गयी सूचनाओ की फोटो कॉपी साथ संग्लन हैं |

यह हैं कि मेरे द्वारा मांगी गयी जानकारी RTI Act 2005 के दायरे में है और मेरे द्वारा मांगी गयी सही जानकारी देने के लिए Heritage Conservation Committee, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi ऑफिस बाध्य है और मेरे द्वारा मांगी गयी जानकारी को गलत व् अधूरी जानकारी देना आर.टी.आई एक्ट 2005 की अवहेलना है |

यह है कि Heritage Conservation Committee, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi दवारा अपीलार्थी श्री देवेन्द्र देव शर्मा को गलत व् अधूरी सूचना देकर उपरोक्त अधिकारी ने अपीलार्थी श्री देवेन्द्र देव शर्मा के मौलिक अधिकार का हनन किया है तथा इसलिए CPIO/PIO, C/O Coordinating Officer, Heritage Conservation Committee, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi के खिलाफ उचित क़ानूनी कार्यवाही की जाये तथा अपीलार्थी श्री देवेन्द्र देव शर्मा दवारा मांगी गई सूचनाए आर. टी. आई. एप्सलीकेशन के सवालो अनुसार अलग अलग सही व् दुरुस्त जानकारी लिखित में अपीलार्थी श्री देवेन्द्र देव शर्मा को दिलाई जाये |

25.4.2022
Smt Alka, CPIO

D.D.S

यह हैं की मेरी इस अपील को मुझे सुनने के लिय मुझे हियरिंग के लिए नोटिस दिया जाये | मेरी हियरिंग सुनने के बाद ही मेरी अपील का फैसला किया जावे | मेरी हियरिंग सुने बिना मेरी अपील का फैसला नहीं किया जावे | धन्यवाद |

अपीलार्थी

D.D.S

Devender Dev Sharma
16 C, Bhairon Mandir, Boulevard Road,
Civil Lines, North Delhi-110054
Phone:- 9310355513, 9773587020

अधपन्ना COUNTERFOIL

इसे फाड़कर प्रेषक अपने पास रख ले।
To be detached and kept by the Sender.

पोस्टल आर्डर
₹ 50
POSTAL ORDER

किसे अदा करना
To whom payable HCC

DELHI

किस डाकघर में
At what Office

क्या इसे क्रास किया है
Whether crossed

भेजने की तारीख
Date sent 21-3-2022

96G 310352

Date sent 21-3-2022

96G 310352

NOT NEGOTIABLE

INDIAN POSTAL ORDER

DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO HCC

DELHI को

पचास रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES FIFTY ONLY

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

कमीशन COMMISSION रुपए 5 RUPEES

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

DEVENDER DEV SHARMA
16C, BHAIRON MANDIR, BOULEVARD ROAD, CIVIL LINES, NORTH DELHI-54

वैधता– जारी करने के महिने के अंतिम दिन से 24 महिने और द्वितिय कमिशन के भुगतान जारी करने के महिने की अंतिम दिन से 36 महिने।
Validity- 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue or payment of second commission.

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

96G 310352

आजादी का अमृत महोत्सव
India Post

To

Date:- 21-03-2022

The CPIO/PIO

C/o Coordinating Officer,

Heritage Conservation Committee,

India Habitat Centre, Lodhi Road,

New Delh-110003

Subject:- Information under the Right to Information Act 2005.

Ref:- नार्थ म्युनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाईड हेरिटेज सूची में हैं के बारे सूचनाये हेतु |

Sir / Madam,

With reference to the above I Devender Dev Sharma, R/O 16 C, Bhairon Mandir, Boulevard Road, Civil Lines, North Delhi-110054 submit as under:-

It is, therefore, requested to your goodself to kindly provide me the point wise reply of following question please:-

1. नार्थ म्युनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाईड हेरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बना लेते हैं तो वह बिल्डिंग authorisd होगी या unauthorised होगी लिखित में जानकारी दी जाये |
2. नार्थ म्युनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाईड हेरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उतरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान सैग्सन कराकर नयी बिल्डिंग बना लेते हैं तो वह बिल्डिंग authorisd होगी या unauthorised होगी लिखित में जानकारी दी जाये |
3. नार्थ म्युनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाईड हेरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उतरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान सैग्सन कराकर नयी बिल्डिंग बनाता हैं और फिर नार्थ म्युनिसिपल कारपोरेशन उस बिल्डिंग को बुक कर लेती है बुक करने से मतलब क्या वह बिल्डिंग unauthorised हैं लिखित में जानकारी दी जाये |
4. नार्थ म्युनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाईड हेरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उतरी दिल्ली नगर निगम

D.Dg

से बिल्डिंग प्लान ऑनलाइन सैग्सन कराकर नयी बिल्डिंग बनाता हैं तो क्या उतरी दिल्ली नगर निगम से किया गया सैग्सन बिल्डिंग प्लान लीगल है या अनलिगल है लिखित में जानकारी दी जाये |

5. नार्थ म्युनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाईड हेरिटेज सूची में हैं अगर कोई उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बना लेता हैं तो आप उसके खिलाफ सिविल क्रिमिनल क्या क्या कार्यवाही करते है लिखित में जानकारी दी जाये |

6. नार्थ म्युनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाईड हेरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने के लिए क्या उतरी दिल्ली नगर निगम बिल्डिंग प्लान सैग्सन कर सकता हैं या नहीं लिखित में जानकारी दी जाये |

7. नार्थ म्युनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाईड हेरिटेज सूची मे हैं और वह शाहजहानाबाद इन्वेंटरी ऑफ़ हेरिटेज-1 में उस बिल्डिंग की फोटोग्राफ हैं और बिल्डिंग का विवरण जैसे Plan Form, Height, Transformation Conditions- Plan, Elevation, Walls, Plinth Decoration- Doors, Windows, Columns, Entablature, Brackets, Chajjas, Balcony Railings, हैं इन सब को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने के लिए HCC या उतरी दिल्ली नगर निगम दोनों या किसी एक से अनुमति लेना जरुरी है या बिना अनुमति लिए भी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बना सकते है लिखित में जानकारी दी जाये |

Thanking you,

Yours faithfully,

Devender Dev Sharma

16 C, Bhairon Mandir, Boulevard Road,

Civil Lines, North Delhi-110054

Phone:- 9310355513, 9773587020

Note:- 1) A Postal Order no. 96G 310352 dated -21-03-2022 amounting to Rs. 50/- is annexed as fee.

हैरिटेज संरक्षण समिति
HERITAGE CONSERVATION COMMITTEE
भारत पर्यावास केन्द्र, कोर-6ए यूजी एवं प्रथम तल
INDIA HABITAT CENTRE, CORE 6A, UG & FIRST FLOOR
लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 LODHI ROAD, NEW DELHI-110003

स0.47(109)/2022- आर.टी.आई. सेल

18 अप्रैल 2022

श्री देवेंदर देव शर्मा,
16 C, भैरों मंदिर,
बौलेवर्ड रोड, सिविल लाइंस,
नॉर्थ दिल्ली-110054

विषय:- RTI application Under RTI Act, 2005 – Reg.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपनी आर०टी० आई एंपलीकेशन दिनाँक 21-03-2022 का अवलोकन करें जो कि इस कार्यालय में दिनांक 23.03.2022 को प्राप्त हुई है। संबन्धित अधिकारी द्वारा आपकी आर०टी० आई एंपलीकेशन के संबंध में माँगी गई जानकारी निम्नानुसार है:

Sl. No.	Information sought	Information provided
1.	नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफ़ाइड हेरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बना लेते हैं तो वह बिल्डिंग authorized होगी या unauthorized होगी लिखित में जानकारी दी जाए।	प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जो की हेरिटेज सूची में है। उसको HCC से अनुमोदित करवाना अनिवार्य है।
2.	नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफ़ाइड हेरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उत्तरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान सेगसन कराकर नयी बिल्डिंग बना लेते हैं तो वह बिल्डिंग authorized होगी या unauthorized होगी लिखित में जानकारी दी जाए।	
3.	नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफ़ाइड हेरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उत्तरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान सेगसन कराकर नयी बिल्डिंग बनाता है और फिर नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन उस बिल्डिंग को बुक कर लेती है बुक करने से मतलब क्या वह बिल्डिंग unauthorized हैं लिखित में जानकारी दी जाए।	
4.	नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफ़ाइड हेरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उत्तरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान सेगसन कराकर नयी बिल्डिंग बनाता है तो क्या उत्तरी दिल्ली नगर निगम से किया गया सेगसन बिल्डिंग प्लान लीगल है या अनलीगल है लिखित में जानकारी दी जाए।	
5.	नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफ़ाइड हेरिटेज सूची में हैं अगर कोई उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बना लेते हैं तो आप उसके खिलाफ सिविल क्रिमिनल क्या क्या कार्यवाही करते हैं लिखित में जानकारी दी जाए।	

दूरभाष PHONE : 24619593, 24618607, 24690821, फैक्स FAX : 24648970
ई-मेल Email : membersecyhcc@gmail.com, membersecyhcc-duac@gov.in

हैरिटेज संरक्षण समिति
HERITAGE CONSERVATION COMMITTEE
भारत पर्यावास केन्द्र, कोर-6ए यूजी एवं प्रथम तल
INDIA HABITAT CENTRE, CORE 6A, UG & FIRST FLOOR
लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 LODHI ROAD, NEW DELHI-110003

6.	नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रतेयक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफ़ाइड हेरिटेज सूची में हैं अगर कोई उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बनाने के लिए क्या उतरी दिल्ली नगर निगम बिल्डिंग प्लान सेगसन कर सकता है या नहीं लिखित में जानकारी दी जाए।	
7.	नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रतेयक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफ़ाइड हेरिटेज सूची में हैं और वह शाहजहानबाद इनवेनटरी ऑफ हेरिटेज-1 में उस बिल्डिंग की फोटोग्राफ हैं और बिल्डिंग का विवरण जैसे Plan Form, Height, Transformation Conditions-Plan, Elevation, Walls, Plinth Decoration-Doors, Windows, Columns, Entablature, Brackets, Chajjas, Balcony Railings, हैं इन सब को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने के लिए HCC या उतरी दिल्ली नगर निगम दोनों या किसी एक से अनुमति लेना जरूरी है या बिना अनुमति लिए भी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बना सकते हैं लिखित में जानकारी दी जाए।	

यदि आप उपर्युक्त निर्णय के संबंध में कोई अपील करना चाहतें हैं तो वह श्रीमती रूबी कौशल, सचिव एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी दिल्ली नगर कला आयोग, कोर-6ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को इस पत्र के प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर की जा सकती है।

भवदीय,

(अलका धीर)
निजी सचिव
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

दूरभाष PHONE : 24619593, 24618607, 24690821, फैक्स FAX : 24648970
ई-मेल Email : membersecyhcc@gmail.com, membersecyhcc-duac@gov.in